

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3,
SUB-SECTION (ii)]

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Financial Services)

New Delhi, 9th December 2020

NOTIFICATION

S.O. ____.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Central Government hereby appoints Shri Pramod Kumar Arora, Secretary (International Operations), Life Insurance Corporation of India, Corporate office, Mumbai as Whole-Time Member (Actuary) in the Insurance Regulatory and Development Authority of India, on a consolidated pay package of four lakh rupees per month (without facility of house and car), initially for a period of three years, with effect from the date of assumption of charge of the post, or till attaining the age of sixty-two years, or until further orders, whichever is the earliest.

(F. No. R-16011/02/2019-Ins.I)



(K. B. Nayyar)

Under Secretary to Government of India

To:

The Manager
Government of India Press,
Mayapuri Press,
New Delhi

(भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

का.आ. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री प्रमोद कुमार अरोड़ा, सचिव, (अंतर्राष्ट्रीय परिचालन), भारतीय जीवन बीमा निगम, कारपोरेट कार्यालय, मुम्बई को पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आरंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, चार लाख रुपए प्रतिमाह (आवास और कार की सुविधा के बिना) के समेकित वेतन पैकेज पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में पूर्णकालिक निदेशक (बीमांकिकी) के पद पर नियुक्त करती है।

(फा.सं. आर-16011/02/2019-बीमा-I)

के. बी. नैय्यर

(के. बी. नैय्यर)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड, नई दिल्ली।